न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 17/2018
जीसीएमएस नं. :: 2018/00348

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्र अमृतलाल निवासी रावला रोड, नारलाई तहसील देसरूी जिला पाली (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमकार सिंह

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 7-1-2021

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध उनके रावला रोड नारलाई तहसील देसूरी स्थित टेण्ट गोदाम से वक्त निरीक्षण दिनांक 27.07.2018 को मौके पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के पाये गये। जिसमें से 2 घरेलु गैस सिलेण्डर पूर्ण भरे हुए एवं एक घरेलु गैस सलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ पाया गया तथा 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के मय 1 गैस रिफिलिंग इलैक्ट्रिक मोटर मय दो नली एवं रेग्युलेटर पाये गये जिनका अवैध संग्रहण किये जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 27.07.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु प्रवर्तन निरीक्षक पाली हमराह प्रमोद सिरवी (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) जिला रसद अधिकारी पाली के साथ रावला रोड नारलाई तहसील देसूरी स्थित अप्रार्थी के टेण्ट गोदाम पर पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश सोनी पुत्र श्री अमृतलाल उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही टेण्ट गोदाम का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री रोहित कुमार पुत्र श्री प्रवीन कुमार एवं लाखाराम पुत्र श्री खेताराम की उपस्थिति में टेण्ट गोदाम की जांच करने पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा एचपी कम्पनी के मिले जिनमें 2 घरेलु गैस सिलेण्डर पूर्ण रूप से भरे हुए व 1 घरेलु गैस सिलेण्डर आंशिक रूप से भरा हुआ मिला। साथ ही 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर क्षमता 19 किग्रा कम्पनी एचपी के तथा 1 गैर रिफिलिंग इलैक्ट्रिक मोटर मय दो नली एवं रेग्यूलेटर पाये गये। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नही थे न ही अप्रार्थी ने उपलब्ध करवाएं। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी ने मैनेजर श्री दीपेन्द्र पुत्र श्री अमृतलाल परिहार, निवासी आजाद कॉलोनी, नगरपालिका बाली हाल मैनेजर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस, देसूरी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल से करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेते हुए एवं संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुपुर्द श्री दीपेन्द्र पुत्र श्री अमृतलाल परिहार, निवासी आजाद कॉलोनी, न.पा. बाली हाल मैनेजर मैसर्स मंगला इण्डेन गैस, देसूरी को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही के संबंध में मौके पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये जो पत्रावली संलग्न है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण कर व अवैध रिफिलिंग कर द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:51 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 2

के प्रस्तुत कर निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो, व्यावसायिक सिलेण्डरो एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी के टेण्ट गोदाम मय निवास है। उसके द्वारा न तो गैस सिलेण्डर बेचने व खरीदने का कार्य करता है उसका टेंट का व्यवसाय है और वह साथ ही कबाड़ी का काम करता है। उसके टेण्ट गोदाम में पर्याप्त जगह होने से गैस एजेन्सी के डिलर अपनी सुविधा के अनुसार गैस टंकिया यहा छोड़ते है और कस्बे के विभिन्न लोग यहाँ से लेकर जाते है। तथा साथ ही कथन किया कि अप्राथी के गोदाम में पड़ी वाशिंग मशीन व पानी की मशीन को आधार बनाकर कूननी कार्यवाही की गई है। जो सरासर गलत है तथा रिफलिंग की मोटर में आवश्यक पर्याप्त उपकरण भी नहीं लगे हुए जिससे स्पष्ट होता है कि रिफलिंग किया जाना संभव नहीं है। तथा अप्रार्थी के गोदाम में 6 गैस सिलेण्डर एच.पी. एवं रेगुलेटर के कार्यवाही में बताये गये है उनमें विभिन्न मात्रा में गैस होना बताया गया है जबकि गैस सिलेण्डर अप्रार्थी के नहीं होने से उसे इसका ज्ञान ही नहीं है। तथा अप्रार्थी ने कार्यवाही के दौरान एच.पी. की विभिन्न डायरिया भी बताई जो सिलेण्डर डायरीधारक अप्रार्थी के गोदाम में रखकर गंये थे। इस प्रकार द्रवित, पेट्रोलियम गैस का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया गया न ही उसके द्वारा नियमों की अवहेलना की गई है। इसलिए अप्रार्थी के जब्तसुदा सिलेण्डर व्यावसायिक उपयोग में लिया जाना सिद्ध नहीं होने से रिलीज करावें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील अप्रार्थी ने जैर प्रार्थना पत्र जब्तसुदा गैस सिलेण्डर उनके टेण्ट गोदाम रावला रोड नारलाई तहसील देसूरी में पाया जाना स्वीकार किया। जिसमें 3 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी एच.पी. क्षमता 14.2 किग्रा जिनमें से 2 पूर्ण रूप से भरे हुए एक आंशिक रूप से भरा हुआ पाया गया। साथ ही 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर कम्पनी एच.पी. क्षमता 19 किग्रा मय 1 गैस रिफिलींग इलैक्ट्रिक मोटर मय दो नली व रेग्यूलेटर पाये गये। घरेलू गैस सिलेण्डर की संख्या 3 व व्यवसायिक गैस सिलेण्डर की संख्या 3 पायी गयी जबकि एक व्यक्ति के एक से अधिक गैस कनेक्शन नहीं हो सकते है। मौके पर टेण्ट गोदाम में एक ही कम्पनी के 3 घरेलु गैस सिलेण्डर, 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व रिफिलींग इलैक्ट्रीक मोटर मय दो नली एंव रेग्यूलेटर पाये जाने से अप्रार्थी के द्वारा अवेध रूप से द्रवित पेट्रोलियम गैस का व्यवसाय करता है तथा इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली रिफिलींग इलैक्ट्रीक मोटर व नलिया भी वहां पाई गई। उपरोक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों व अन्य सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलींग किए जाने के कारण जब्त कर सुपुदर्गीनामे पर दिए गए। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए न ही उनके पाए जाने की वैधता बाबत कोई सबूत अथवा दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष अथवा इस न्यायालय में आदिनांक पेश किए गए न ही अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब पेश किया गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी चन्द्रप्रकाश सोनी द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों, अन्य व्यवसायिक गैस सिलेण्डर ... जब्त सुदा 1 गैस रिफिलिंग इलैक्ट्रिक मोटर मय दो रिफिलींग नलि... रेग्यूलेटर, को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:51 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने टेण्ट गोदाम पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्तसुदा 3 घरेलू गैस सिलेण्डर कम्पनी एचपी क्षमता 14.2 किग्रा व 3 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर कम्पनी एचपी क्षमता 19 किग्रा मय 1 गैस रिफिलींग इलैक्ट्रीक मोटर मय दो नली एवं रेग्यूलेटर पायी गयी को राज्यसात (Confiscate)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा 'घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08.2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डर, गैस रिफिलिंग मोटर रिफिलिंग नलियां व रेग्यूलेटर निस्तारण कार्यवाही की जावे। जो सामान उक्त परिपत्र में उल्लेखित नहीं है उसकी नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा कराई जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिनांक 7-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:43:51 IST
Reason: SelfAttested